

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 110/2023(पुरानी-11/2020)

प्रविष्टि दिनांक:- 17.11.2023(पुरानी-02.07.2020)

निर्णय दिनांक :- 15.05.2024

::-उनवान-::

1. शिवराज पुत्र भूरा
2. सांवराराम पुत्र भूरा
3. न्याली पुत्री भूरा
4. मुकेशी पुत्री भूरा

जाति जाट निवासी शुभदण्ड, टोपा, तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी
राजस्थान।

-अपीलान्ट

बनाम

1. सजनी देवी पुत्री चतुर्भुज
2. ग्यारसी देवी पुत्री चतुर्भुज
3. मनभर देवी पुत्री चतुर्भुज

जाति जाट निवासीयान शुभदण्ड, टोपा, तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी
राजस्थान।

4. तहसीलदार टोडारायसिंह जिला केकड़ी।

-रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरण सं0 3329, दिनांक 31.05.2017,
तहसीलदार टोडारायसिंह एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय
परिसीमा अधिनियम

उपस्थित :


1. श्री नौरतमल सांखला अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री केसरलाल चौधरी अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

::-निर्णय-::

दिनांक 15.05.2024

अपीलांट्स द्वारा अपील विरुद्ध नामान्तरण सं0 3329, दिनांक 31.05.2017, तहसीलदार टोडारायसिंह एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि.....

1. यह कि आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 0.53 है0 किस्म माल-2 वाके ग्राम भांसु, पटवार क्षेत्र भांसु, तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी, राजस्थान में स्थित है, जो अपीलांट्स एवं रेस्पोजेण्ट सं0 1 ता 3 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसका अंकन जमाबंदी खाता सं0- नया 533, पुराना 507, जमाबंदी सम्वत 2074-2077 मे दर्ज है। उक्त आराजीयात अपीलांट्स को उनके पिता भूरा पुत्र चतुर्भुज से प्राप्त हुई है, जिसमे अपीलांट्स का 5/8 हिस्सा है। उक्त हिस्सा भूमि का नामान्तरकरण सं0 3329, दिनांक 31.05.2017 को तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा तरदीक किया गया है, जिसमे सहवन से अपीलांट्स की वल्दीयत पिता के नाम के आगे भूरा के स्थान पर अपीलांट्स के दादा चतुर्भुज के नाम का अंकन किया गया है। उक्त अंकन मे पिता का नाम त्रुटिपूर्ण होने से अपीलांट्स उक्त नामान्तरकरण सं0- 3329, दिनांक 31.05.2017 मे संशोधन हेतु निम्न आधारो पर यह अपील पेश कर रहे है :-
2. यह कि योग्य अधीनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पारित उक्त नामान्तरकरण आदेश त्रुटिपूर्ण है और दुरुस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि अपीलांट्स, स्व0 भूरा पुत्र चतुर्भुज की संताने है, जिनके परिवार का पारिवारिक शजरा निम्न है :-



4. यह कि अपीलांट्स एवं रेस्पोजेण्ट सं0 01 ता 03 संयुक्त परिवार के पारिवारिक सदस्य है। अपीलांट्स के पिता भूरा व रेस्पोजेण्ट सं0 01 ता 03 आपस मे सगे भाई-बहिन है। जिनको उक्त वर्णित आराजीयात खाता सं0-533 मे अंकित आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 0.53 है0 किस्म माल-2 वाके ग्राम भांसु, पटवार क्षेत्र भांसु, तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान पैतृक आराजीयात होने से जरिये विरासत प्राप्त हुई है। अपीलांट्स का उक्त आराजीयात मे 5/8 हिस्सा है, जो उनको उनके पिता स्व0 भूरा पुत्र चतुर्भुज की मृत्यु के बाद जरिये विरासत प्राप्त हुई है तथा शेष 3/8 हिस्से की आराजीयात रेस्पोजेण्ट

सं0 1 ता 3 को उनकी माता फूला पत्नि चतुर्भुज की मृत्यु के साथ जरिये विरासत प्राप्त हुई है। इस प्रकार अपीलांट्स व रेस्पोजेण्ट सं0 1 ता 3 अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज, काश्त चले आ रहे हैं।

5. यह कि योग्य अधीनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा अपीलांट्स के पिता भूरा की मृत्यु के उपरांत अपीलांट्स के नाम उक्त हिस्सा 5/8 का नामान्तरण तस्दीक करते समय सहवन से अपीलांट्स के पिता भूरा के स्थान पर अपीलांट्स के दादा चतुर्भुज का नाम अंकित कर दिया गया, जो की त्रुटिपूर्ण है। जिससे अपीलांट्स को काफी परेशानीयो का सामना करना पड रहा है।

6. यह कि उक्त त्रुटि सदभाविक त्रुटि है, जो न्यायहित में दुरुस्त योग्य है। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण सं0-3329 में अपीलांट्स के पिता के त्रुटिपूर्ण नाम चतुर्भुज के स्थान पर अपीलांट्स के पिता के सही एवं वास्तविक नाम भूरा अंकित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

7. यह कि उक्त त्रुटि से रेस्पोजेण्ट्स सं0 1 ता 3 के कोई हक व अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। रेस्पोजेण्ट सं0 1 ता 3 उक्त भूमि में सहखातेदार हैं, उक्त दुरुस्ती के बाबत उनकी पूर्ण सहमति है। इस कारण भी उक्त अंकन दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

8. यह कि अपीलांट्स काश्तकार व्यक्ति है, जिनको नामान्तरण में त्रुटिपूर्ण अंकन के सम्बन्ध में उनको कोई जानकारी पूर्व में नहीं हो सकी, सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.06.2020 को अपीलांट्स तहसील कार्यालय में जाने पर हुई, जिस पर पटवारी द्वारा उनको उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के सम्बन्ध में अवगत कराया। जिस पर अपीलांट्स ने उक्त नामान्तरण आदेश की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन उसी दिनांक को पेश कर नामान्तरण आदेश की नकल दिनांक 22.06.2020 को प्राप्त की और आज जानकारी से अन्दर मियाद बिना किसी देरी के उक्त अपील पेश कर रहे हैं। अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की है। जो देरी हुई है, वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य हैं देरी को क्षमा करने हेतु पृथक से अपीलांट्स धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश कर रही है।

9. अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 31.05.2017 को तस्दीक किये गये नामान्तरण सं0- 3329 को संशोधित करते हुए अपीलांट्स के पिता के त्रुटिपूर्ण नाम चतुर्भुज के स्थान पर अपीलांट्स के पिता के सही एवं वास्तविक नाम भूरा अंकित कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

10. प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ अ0 धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थीगण-अपीलांट्स काश्तकार पेशा व्यक्ति है, जिनको उक्त नामान्तरण में त्रुटिपूर्ण अंकन के सम्बन्ध में उनको कोई जानकारी पूर्व में नहीं हो सकी, सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.06.2020 को अपीलांट्स तहसील कार्यालय में जाने पर हुई, जिस पर पटवारी द्वारा उनको उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के सम्बन्ध में अवगत कराया। जिस पर अपीलांट्स ने उक्त नामान्तरण आदेश की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन उसी दिनांक को पेश कर नामान्तरण आदेश की नकल दिनांक 22.06.2020 को प्राप्त की और आज जानकारी से अन्दर मियाद बिना किसी देरी के उक्त अपील पेश कर रहे हैं। अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की है, जो देरी हुई है, वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है।

11. प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को न्यायहित में कण्डोन किया जाकर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश प्रदान करें।

12. रेस्पोंडेंट अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस प्रस्तुत की। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

13. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 0.53 है0 किस्म माल-2 वाके ग्राम भांसु, पटवार क्षेत्र भांसु, तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी, राजस्थान में स्थित है, जो अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट सं0 1 ता 3 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसका अंकन जमाबंदी खाता सं0- नया 533, पुराना 507, जमाबंदी सम्वत 2074-2077 में दर्ज है। उक्त आराजीयात अपीलांट्स को उनके पिता भूरा पुत्र चतुर्भुज से प्राप्त हुई है, जिसमें अपीलांट्स का 5/8 हिस्सा है। उक्त हिस्सा भूमि का नामान्तरण सं0 3329, दिनांक 31.05.2017 को तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा तरदीक किया गया है, जिसमें सहवन से अपीलांट्स की वल्दीयत पिता के नाम के आगे भूरा के स्थान पर अपीलांट्स के दादा चतुर्भुज के नाम का अंकन किया गया है।

14. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट सं0 01 ता 03 संयुक्त परिवार के पारिवारिक सदस्य है। अपीलांट्स के पिता भूरा व रेस्पोंडेंट सं0 01 ता 03 आपस में सगे भाई-बहिन है। जिनको उक्त वर्णित आराजीयात खाता सं0-533 में अंकित आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 0.53 है0 किस्म माल-2 वाके ग्राम भांसु, पटवार क्षेत्र भांसु, तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान पैतृक आराजीयात होने से जरिये विरासत प्राप्त हुई है। अपीलांट्स का उक्त आराजीयात में 5/8 हिस्सा है, जो उनको उनके पिता स्व0 भूरा पुत्र चतुर्भुज की मृत्यु के बाद जरिये विरासत प्राप्त हुई है तथा शेष 3/8 हिस्से की आराजीयात रेस्पोंडेंट सं0 1 ता 3 को उनकी माता फूला पत्नि चतुर्भुज की मृत्यु के साथ जरिये विरासत प्राप्त हुई है। इस प्रकार अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट सं0 1 ता 3 अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज, काश्त चले आ रहे है।

15. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त त्रुटि सद्भाविक त्रुटि है, जो न्यायहित में दुरुस्त योग्य है। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण सं0-3329 में अपीलांट्स के पिता के त्रुटिपूर्ण नाम चतुर्भुज के स्थान पर अपीलांट्स के पिता के सही एवं वास्तविक नाम भूरा अंकित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

16. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 31.05.2017 को तस्दीक किये गये नामान्तरण सं0- 3329 को संशोधित करते हुए अपीलांट्स के पिता के त्रुटिपूर्ण नाम चतुर्भुज के स्थान पर अपीलांट्स के पिता के सही एवं वास्तविक नाम भूरा अंकित कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

17. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के अन्तर्गत पेश तथ्यों से सहमति रखते हुये और न्यायालय मुताबिक साक्ष्य/दस्तावेजों के आधार पर जो भी निर्णय पारित करेगा इस हेतु रेस्पोंडेंट को कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

अपील विरुद्ध नामान्तरण सं0 3329, दिनांक 31.05.2017, तहसीलदार टोडारायसिंह मय धारा 5 मियाद अधिनियम
उनवान-शिवराज बनाम सजनी देवी

18. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रार्थी द्वारा देरी के कारण को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त आधारों पर तथा न्याय हित में मियाद कण्डोन कर प्रार्थना पत्र श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

19. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 75 एल0आर0एक्ट में नामान्तरण सं0 3329 दिनांक 31.05.2017 तहसीलदार टोडारायसिंह के विरुद्ध पेश की है। नामान्तरण सं0 3329 का अवलोकन किया। ग्राम भासू के खसरा नं0 120 रकबा 0.53 है0 आराजी में भूरा पुत्र चतरभूज जाट हिस्सा 5/8 शेष बदस्तूर को नामान्तरण द्वारा शिवराज, सांवराराम पुत्र, न्याली, मुकेशी पुत्रियां चतरभूज जाट हिस्सा 5/8 शेष बदस्तूर दर्ज किया। यह विरासत का इन्तकाल भूरा पुत्र चतरभूज के फोट होने के कारण किया गया। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खाता सं0 नया-533 वर्ष 2019 खसरा सं0 120 रकबा 0.53 है0 में दर्ज रिकॉर्ड अनुसार ग्यारसी पुत्री भूरा, न्याली पुत्री चतरभूज, मुकेशी पुत्री चतरभूज, मनभर देवी पुत्री भूरा, शिवराज पुत्र चतरभूज, सजनी देवी पुत्री भूरा, सांवराराम पुत्र चतरभूज सह खातेदार के रूप में दर्ज है। नामान्तरण के अवलोकन से मृतक भूरा के विरासत का नामान्तरण दर्ज करते हुये शिवराज, सांवराराम, पुत्र न्याली, मुकेशी पुत्रियां चतरभूज त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज हो गया जबकि भूरा के पिता का नाम चतरभूज था। अतः ग्राम भासू के खसरा नं0 120 रकबा 0.53 है0 आराजी में शिवराज, सांवराराम पुत्र, न्याली, मुकेशी पुत्रियां चतरभूज जाट हिस्सा 5/8 के स्थान पर शिवराज, सांवराराम पुत्र भूरा, न्याली, मुकेशी पुत्रियां भूरा जाट हिस्सा 5/8 शुद्ध किया जाना विधिसम्मत है।

—: आदेश :-

अपीलांट की अपील प्रार्थना पत्र अपील अपीलांट्स की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 75 विरुद्ध नामान्तरण सं0 3329, दिनांक 31.05.2017, तहसीलदार टोडारायसिंह अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टोडारायसिंह को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार ग्राम भासू के खसरा नं0 120 रकबा 0.53 है0 आराजी में दर्ज खातेदारों की वल्लियत दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(दिनेश धाकड़)
पीठासीन अधिकारी
अति. जिला कलक्टर,
केकड़ी